वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 14.01.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, भारत एकता टाइम्स,हिंदुस्तान,न्यायाधीश, राष्टीय सहारा,ज्ञानशिखा टाइम्स," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 14.01.2025

वीडीए ने सारनाथ में सील किया अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए की ओर से सारनाथ में अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। सारनाथ वार्ड के पैगंबरपुर में बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण का नोटिस दिया गया था। इसके बाद भी काम कराने पर वीडीए ने निर्माण को सील किया। ब्यूरो

भारत एकता टाइम्स –दि0 14.01.2025

बिना नक्शा पास कराए हो रहा था अवैध निर्माण, सील

वाराणसी। विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सारनाथ वार्ड में बिना मानचित्र स्वीकृत किए गए एक बड़े निर्माण को सील कर दिया। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष के निदेर्शानुसार वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा की गई। चंद्रबली मौर्या, मौजा पैगंबरपुर, वार्ड सारनाथ में लगभग 370 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कराया जा रहा था। अवैध निर्माण जी+बी+3 के तहत किया जा रहा था, जिसमें पिलर खड़े करने, सरिया लगाने और सटरिंग का काम हो रहा था। प्राधिकरण ने इस पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28( ) और 28( ) के तहत नोटिस जारी किया था। निर्माणकर्ता द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए कार्य जारी रखने पर उक्त निर्माण को सील कर दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 14.01.2025

प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड–सारनाथ के अन्तर्गत चन्द्रबली मौर्या, मौजा – पैगम्बरपुर, वार्ड–सारनाथ , जिला–वाराणसी में लगभग 370 वर्ग मीटर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग G+B+3 पर निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धारा–27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग ल+[illegible]+3 में निर्माण कर बेसमेंट पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना – सारनाथ की सतत निगरानी हेतु सौंप दिया गया। जोनल अधिकारी श्री प्रकाश,अभियंता विनोद कुमार, मौजूद रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

हिन्दुस्तान –दि0 14.01.2025

पैगंबरपुर में तीन मंजिला भवन सील किया गया

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को सारनाथ जोन के पैगम्बरपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण को सील किया। तीन मंजिला भवन बनाने के दौरान भवन स्वामी ने नियमों का उल्लंघन किया। वीडीए ने पुलिस को अब अवैध निर्माण न होने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस दौरान जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश, जेई विनोद कुमार मौजूद रहे।

न्यायाधीश –दि0 14.01.2025

वीडीए ने की अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसके तहत 13 जनवरी वार्ड-सारनाथ के अन्तर्गत चन्द्रबली मौर्या, मौजा - पैगम्बरपुर, वार्ड-सारनाथ , जिला-वाराणसी मे लगभग 370 वर्ग मीटर मे बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग ऊँ3 पर निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिग का कार्य किये जाने पर 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग ऊँ3 में निर्माण कर बेसमेंट पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना -सारनाथ की सतत निगरानी हेतु सौंप दिया गया ।जोनल अधिकारी श्री प्रकाश,अभियंता विनोद कुमार, मौजूद रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करे अन्यथा की स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय सहारा –दि0 14.01.2025

अवैध निर्माण को पुलिस अभिरक्षा में सौंपा

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर विकास प्राधिकरण जोन-दो की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की। सारनाथ वार्ड के अंतर्गत चंद्रबली मौर्या, मौजा-पैगम्बरपुर में बिना नक्शा पास कराये निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटिरंग का कार्य किये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग में निर्माण कर बेसमेंट पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना - सारनाथ की सतत निगरानी के लिए सौंप दिया गया।